डा0 ढाल सिंह बिसेन
राज्यपाल/कुलाधिपति,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।

लोक भवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : **/जी0एस0(शिक्षा)/C12-1(II)/2017**
देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर, 2026

: आदेश :

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम–2009 की धारा–11 की उपधारा–(1) एवं (6) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत आदेश संख्या–45 दिनांक 24.11.2023 द्वारा प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी को उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया था। प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी द्वारा दिनांक 25.11.2023 को कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था, इसके दृष्टिगत उनका कुलपति पद का 03 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.11.2026 को पूर्ण हो गया है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नवीन कुलपति की चयन प्रक्रिया वर्तमान में शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन होने एवं उसमें समय लगने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–11(7) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में **प्रो0 अरुण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार** को दिनांक 25 नवम्बर, 2026 से अग्रेत्तर छः माह, नियमित कुलपति की नियुक्ति अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह0/–
(डा0 ढाल सिंह बिसेन)
कुलाधिपति।

संख्या : 35349 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C12-1(II)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
8. प्रो0 अरुण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य–उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार।
9. कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Raman 25/11/26
(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।